न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 59 / 2025

जीसीएमएस नं. : 2025 / 132

सुशीला बनाम जयप्रकाश आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 92ए आरटीएक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री नवीन मिढ्ढा, अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण
2. श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता अप्रार्थी / वादी

–:: आदेश ::–

दिनांक : 29.08.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थीगण प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा चक 8 एएस तहसील श्रीविजयनगर के खाता सं. 209 मु.नं. 120 प.नं. 37 / 64 कि.नं. 1 ता 24 अनकमाण्ड किनं. 25 कमाण्ड कुल 6.325है. भूमि के संबंध में तथाकथित इकरारनामा (करार पत्र) दिनांक 20.04.2016 को वाद का मुख्य आधार बनाकर अनुतोष चाहा है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि भूमि के रिकार्ड में परिवर्तन करने से निषिद्ध रहे। वादीया का वाद विधि से बाधित है एवं धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से हिट होता है। क्योंकि वाद पत्र में अंकित अभिवचनों से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादीया के द्वारा तथाकथित इकरारनामा दिनांकित 20.04.2016 के आधार पर वाद महज स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। तथाकथित इकरारनामा दिनांक 20.04.2016 एक अपंजीकृत दस्तावेज है। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर दीवानी न्यायालय को प्राप्त है इसलिए तथाकथित इकरारनामा के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का वाद सक्षम दीवानी न्यायालय मे ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वादीया वादाधीन भूमि का खातेदार टेनेन्ट नही है और ना ही तथाकथित अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर वादीया के कोई अधिकार उत्पन हो रहे है। तथाकथित इकरारनामा दिनांक 20.04.2016 के आधार पर वादीया माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नही है और ना ही वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार का वाद कारण प्राप्त है और ना ही वादीया का वादाधीन भूमि [illegible] कब्जा काश्त है और ना ही कब्जा सपुर्द करने का कोई अंकन तथाकथित करार पत्र में दर्ज है और विधिक प्रावधानो के तहत बिना [illegible] निषेधाज्ञा का वाद प्रचलन योग्य नही है। इकरारनामा पर आधारित वाद की सुनवाई [illegible] क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानो के तहत दीवानी न्यायालय को प्राप्त है न कि राजस्व न्यायालय को, ऐसी स्थिति में वादीया का हस्तगत वाद विधिक प्रावधानो के विपरित प्रस्तुत हुआ होने के कारण विधि द्वारा बाधित है जो आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 जाब्ता दीवानी सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के तहत बिना किसी विचारण के इसी स्तर पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:54:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

निरस्त किये जाने के योग्य है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के इस प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त बिन्दू कानूनी है। जिनका सर्वप्रथम निस्तारण महज वाद के अभिवचनो से किया जाना है इस हेतु कानूनन किसी भी प्रकार से जवाबदावा अथवा साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने की भी आवश्यकता नही है। इसके निस्तारण के उपरान्त ही वाद के गुणावगुण के सम्बन्ध में आयन्दा विचारण किया जा सकता है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता सहपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर वादीया का वाद पत्र मय हर्जा निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

2. वादीया/अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता वादी जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा वाद पेश करना स्वीकार है। वादीया का वाद किसी भी प्रकार से विधि द्वारा बाधित नही है। सिविल न्यायालय पंजीकृत दस्तावेज के संबंध मे वाद की सुनवाई कर वांछित अनुतोष प्रदत्त करने में सक्षम है। वादीया सद्भाविक खरीददार है तथा उक्त कृषि भूमि मे वादीया के खरीददार की हैसियत से वर्ष 2016 से हित निहित है। वादीया द्वारा ईकरारनामा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद सक्षम न्यायालय मे पेश किया जा रहा है। वादीया द्वारा श्रीमान् न्यायालय से विनिर्दिष्ट अनुपालना का अनुतोष नही चाहा गया है तथा ना ही श्रीमान् न्यायालय ऐसा कोई अनुतोष प्रदत्त करने में सक्षम है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीया का केवल मात्र कब्जा नहीं होने से यह नही कहा जा सकता कि वादीया को कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। बल्कि प्रतिवादीगण कतई सद्भाविक नहीं है इसलिए प्रकरण मे देरीना करने के आश्य से यह प्रार्थना पत्र बिना किसी विधिक अधिकारो के पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रावधान उक्त प्रकरण मे लागू नही होते है। प्रकरण का निस्तारण केवल वाद के अभिवचनो से ना किया जाकर दोनो पक्षो को सुनने के बाद, पत्रावली पर दस्तावेज, साक्ष्य आदि आने के बाद ही न्यायपूर्ण निर्णय किया जाना संभव है। प्रतिवादीगण प्रकरण मे जबाव प्रस्तुत ना कर प्रकरण को देरीना करने के आश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्ती योग्य है। प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाने हेतु निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण अपनी बहस में कथन किया कि वाद पत्र का मुख्य आधार ईकरारनामा है, जिस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकारी राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 से हिट होता है तथा विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण न्यायिक दृष्टांत 2017 डीएनजे 129 : 2017 आरआरडी 297 एवं 2002 आरआरडी 582 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की। अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही बहस मानने हेतु निवेदन करते हुए कथन किया कि वादीया सद्भाविक क्रेता है। वादीया द्वारा केवल स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है न कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है जिस पर न्यायालय को सुनवाई का पूर्ण क्षेत्राधिकार एवं [illegible] अधिकार प्राप्त है। वाद पत्र पर निर्णय गुणावगुण पर [illegible] साक्ष्य प्राप्त करने के उपरान्त किया जाता है। वाद पत्र किसी भी प्रकार से विधि द्वारा वर्जित नहीं है। प्रार्थना खारिज करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

4. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया। वादीया के द्वारा धारा 92ए राज.काश्त.अधि. के तहत स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष को लेकर अपने वाद में विवादित भूमि जरिए ईकरारनामा दिनांक 20.04.2016 के द्वारा प्रतिवादीगण से खरीद किया जाना अंकित है तथा उक्त ईकरारनामा को

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

मुख्य आधार अंकित करते हुए स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अपंजीकृत दस्तावेज ईकरारनामा के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होते हैं। वाद निष्फल एवं विचारण योग्य नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

—: आदेश :—

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं वाद पत्र वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 29.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.09.12 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested